रजिस्टर्ड डाक द्वारा

संख्याः 27/2020/1163 प्रो०/51-2020-14(07)/2019

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,
अनु सचिव,
मुख्यमंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी।

मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांक 21 जुलाई, 2020

विषयः जनपद-झांसी में राज्य अतिथियों के आगमन पर उनके सेवा-सत्कार आदि पर व्यय हेतु रू० 41,250/- की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रोटोकाल अनुभाग के शासनादेश संख्या-889-प्रो०/51-2020-14(07)/2019, दिनांक 12-03-2020 द्वारा आवंटित धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-2020 में आहरित न हो सकने के कारण उक्त शासनादेश को निरस्त करते हुए आपके पत्र संख्या- 180/न०म०-वी०आई०पी०/बि०भु०/(2020-21), दिनांक 15-04-2020 एवं पत्र संख्या- 220/न०म०-वी०आई०पी०/प्रमाण-पत्र/(2020-21), दिनांक 19-06-2020 द्वारा उक्त व्यपगत धनराशि पुनः चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किए जाने संबंधी आपके प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के सेवा सत्कार से संबंधित निम्नलिखित देयकों के भुगतान हेतु रू 41,250/- (रूपया इक्तालिस हजार दो सौं पचास मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की महामहिम राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्रम सं०	मा० राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि /वाहन संख्या/देयक संख्या/दिनांक	**धनराशि**
1-	श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, मा० केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्व० प्रभार) , भारत सरकार. नई दिल्ली। दिनांक 01-12-2019, देयक संख्याः 160, दिनांक 20-01-2020	रू० 3,750=00
2-	श्रीमती देबाश्री चौधरी, मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास, भारत सरकार. नई दिल्ली। दिनांक 08-11-2019, देयक संख्याः 159, दिनांक 20-01-2020	रू० 3,750=00
3-	श्री त्रिलोचन मोहापात्र, सचिव, भारत सरकार. कृषि शोध एवं शिक्षा, महानिदेशक, भारतीय कृषि शोध परिषद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। दिनांक 24-10-2019, देयक संख्याः 158, दिनांक 20-01-2020	रू० 3,750=00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4-	डा० कृष्णपाल गुर्जर, मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री, न्याय एवं अधिकारिता, भारत सरकार, नयी दिल्ली। दिनांक 24-10-2019, देयक संख्याः 155, दिनांक 20-01-2020	रू० 3,750=00
5-	श्री महेन्द्र पाल पाण्डेय, मा० केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता, भारत सरकार. नई दिल्ली। दिनांक 03-06-2019, देयक संख्याः 152, दिनांक 20-01-2020	रू० 7,500=00
6-	श्रीमती आनन्दीबेन पटेल, महा० राज्यपाल, मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ दिनांक 06-07-2019 से 07-07-2019, देयक संख्याः 153, दिनांक 20-01-2020	रू० 15,000=00
7-	जनरल डा० वी० के० सिंह, मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री, यातायात एवं राजमार्ग, भारत सरकार, नयी दिल्ली। दिनांक 01-10-2019, देयक संख्याः 156, दिनांक 20-01-2020	रू० 3,750=00
	(रूपये इक्तालीस हजार दो सौ पचास मात्र)	रू० 41,250=00

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना / संबंधित कोषागार की डी०डी०ओ० रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन के प्रोटोकाल अनुभाग को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से सम्बन्धित देयक मूलरूप में वापस किये जा रहे हैं।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-'2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाएं-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार (07 देयक मूलरूप में)

भवदीय,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

संख्याः 27/2020/1163 (1) प्रो०/51-2020-14(07)/2019, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), प्रयागराज।
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3. कोषाधिकारी, झांसी।
4. मैसर्स आशु ट्रैवर्स एवं ट्रैवल्स, शाप नं० 1156, नारायण धर्मशाला, सिविल लाइन्स, जोखन बाग, झांसी।
5. व्यवस्थाधिकारी, अति विशिष्ट अतिथि गृह, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ ।
6. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in